सरोगेसी की शर्ते तथा क़ानूनी जानकारी PDF

इस लेख में सरोगेसी के बारे में क़ानूनी जानकारी के साथ- साथ, विश्व में किस- किस देश में कौन सा कानून लागू है और किस देश में इसके प्रति क्या प्रावधान हैं ? भारत की सरकार इसके बारे में क्या सोचती है? तथा भारत देश में पात्रता के पूर्व सरोगेसी की शर्ते और सारगेट माँ के लिए शर्तें / पात्रता मापदंड के लिए क्या है ? इन सबके बारे में यहाँ अच्छे समझेंगे |

सरोगेसी का कानून तथा विशेषज्ञों का तर्क:-

1- सीमा पार नि:संतान दंपतियों के न केवल भाषा की बाधा से जूझना है, बल्कि कभी-कभी उन्हें अपने बच्चे पाने के लिए लंबी क़ानूनी भी लड़ाई लडनी पड़ती है|
2- सीमा पार सरोगेसी से नागरिकता, राष्ट्रीयता,मातृत्व,माता-पिता बनने और बच्चे के अधिकारों में भी समस्याएं पैदा होती हैं |
3- कई बार बच्चों को भावी माता-पिता के देश की राष्ट्रीयता से वंचित कर दिया जाता है|
4- सरोगेसी पर अंतराष्ट्रीय कानून का आभाव सरोगेसी के साथ-साथ भावी माता-पिता के लिए भी जटिलताएं पैदा करता है |
5- यह बहुत संभव है कि गृह देश और जिस देश में बच्चा पैदा हुआ है, वहां सरोगेसी कानून अलग-अलग हों |
6- कैसा भी कई विशेषज्ञों का तर्क है कि हेग गोद लेने के सम्मेलन के समान एक अंतराष्ट्रीय समझौता देशों में स्थिरता प्रदान कर सकता है जिससे प्रक्रिया अधिक सुय्व्यस्थित हो जाएगी |

विभिन्न देशों में सरोगेसी को नियंत्रत करने वाले कानून :-

दुनियां में अलग- अलग देशों में इसको लेकर के अलग- अलग कानून बनाये गये है, उदाहरण के लिए, जो कानून अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया,नीदरलैंड और डेनमार्क जैसे देशो में वह कानून फ़्रांस,जर्मनी और इटली में नहीं है इसको एक- एक उदाहरण के द्वारा समझते है |

1- ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया,नीदरलैंड और डेनमार्क जैसे देश उन देशों में से है जहां परोपकारी सरोगेसी क़ानूनी है |
2- फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और पुर्तगाल और बुल्गारिया जैसे देश सभी प्रकार की सरोगेसी पर प्रतिबंध है |
3- आर्मेलिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, रुस, युक्रेन जहाँ परोपकारी और व्यावसायिक सरोगेसी दोनों की अनुमति देते हैं |

journalismology

4- केन्या, मलेशिया और नाइजीरिया सरोगेसी कानून पर प्रतिबंध नहीं लगते लेकिन इस प्रथा पर विनियमित करने के लिए कोई औपचारिक कानून नहीं है |
5- चक गणराज्य, कोलंबिया, चिली और हंगरी अनियमित सरोगेसी वाले देशों में से एक है|

भारत देश में पात्रता के पूर्व सरोगेसी की शर्तें :-

1- इच्छुक जोड़े को पात्रता का प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर जारी किया जा सकता है |
2- दंपति भारतीय नागरिक है और उसकी शादी को कम से कम 5 साल हो गये हैं |
3- 23 से 60 की आयु (पत्नी) और 26 से 55 की आयु (पति)
4- उसका कोई बच्चा जीवित नहीं है (जैविक, गोद लिया हुआ या सरोगेट)
5- इसमें वह बच्चा शामिल नहीं होगा जो मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग है या जीवन-घातक बीमारी से पीड़ित है |

सारगेट माँ के लिए शर्तें / पात्रता मापदंड:-

उपयुक्त प्राधिकारी से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, सारगेट माँ को यह होना चाहिए ;

1- इच्छुक जोड़े का एक करीबी रिश्तेदार
2- एक विवाहित महिला जिसका अपना एक बच्चा हो
3- 25-35 वर्ष की आयु होनी चाहिए
4- अपने जीवन में केवल एक बार सरोगेट बनें; उससे ज्यादा न बने
5- **सरोगेसी** के लिए चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक फिटनेस का प्रमाण पत्र होना चाहिए
6- **इसके आलावा सारगेट माँ** सरोगेसी के लिए अपने स्वयं के युग्मन प्रदान नहीं होनी चाहिए |

journalismology